227 10 केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा और अन्य आपातकालीन जरूरतों की व्यवस्था करने के लिए कोष का सृजन करना।

आईडीए पैटर्न का पालन करने वाले केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के कार्यकारी और गैर–यूनियन पर्यवेक्षकों के संबंध में वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए गठित दूसरी वेतन संशोधन समिति (दूसरी पीआरसी) ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ यह संस्तुति की है कि केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यम, सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारियों के साथ ही उन कर्मचारियों, जो पेंशन स्कीम के तहत पर्याप्त तौर पर कवर नहीं हैं, की चिकित्सा एवं अन्य आपातकालीन जरूरतों की व्यवस्था करने के लिए एक कोष सृजित करने हेतु कराधान पूर्व लाभ (पीबीटी) के 1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत के अंशदान से एक कोष बनाएं।

2. लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार, केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में मूल वेतन का 30 प्रतिशत और महंगाई भत्ता अनुमत किया गया है जिसमें सीपीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ शामिल हो सकते हैं। जबकि, बहुत–से केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों में पहले से ही उनके सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ और/अथवा पेंशन देने की स्कीमें हैं, संभव है कि कई अन्य केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों में उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई स्कीम न हों।

3. इस विभाग ने केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया था कि वे उपर्युक्त संदर्भित दूसरी पीआरसी की सिफारिश को लागू करने की व्यवहार्यता और विधि के बारे में अपने सुविचारित अभिमत दें। तथापि, लोक उद्यम विभाग को कथित सिफारिश के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से कोई उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह पाया गया है कि यह सभी केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के लिए आम/एकीकृत स्कीम व्यवहार्य नहीं होगी। हालांकि, इसी के साथ, केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्कीम की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि उन्हें चिकित्सा और आपातकालीन लाभ मिल सकें। ऐसी स्थिति में, बेहतर होगा यदि सिफारिष का कार्यान्वयन करने के लिए कोष सृजित करने अथवा कुछ अन्य करने का निर्णय एक केंद्रीय लोक क्षेत्र के उपक्रम पर छोड़ दिया जाए।

4. दूसरी पीआरसी की सिफारिश पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा और अन्य आपदा जरूरतों की देखरेख करने के लिए, जो पेंशन स्कीम और/अथवा पश्च सेवानिवृत्ति चिकितर लाभ स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, एकल केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम पीबीटी के 1.5% से अनधिक के अंशदान से कोष सृजित कर सकते हैं।

5. अतः प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए स्कीम बनाने पर विचार करने के लिए केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करेः

(i) योजना, वहां स्थापित की जाए जहां केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ऐसी योजना की जरूरत महसूस की जाती है।

(ii) योजना में उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा और अन्य आपातकालीन जरूरतों को ध्यान में रखा जाए जो पेंशन योजना और/अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत नहीं आती।

(iii) प्रत्येक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के लिए निदेशक मंडल द्वारा इस योजना के तहत आने वाले केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निधि के संवितरण के लिए निदेशक समिति का गठन किया जाए। समिति चिकित्सा और अन्य आपातकालीन जरूरतों की पहचान भी कर सकती है।

(iv) योजना के संचालन की परिचयात्मक वर्ष में, स्कीम के निधियन के लिए पिछले वर्ष के पीबीटी के 1.5 प्रतिशत से अनधिक स्वीकार्य होगा। बाद के वर्षों में, जरूरत के आधार पर, यदि जरूरत पड़ी, कोष में अंशदान किया जाएगा। तथापि, किसी भी मामले में कोष में अंशदान विगत वर्ष के पीबीटी के 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(v) सरकार द्वारा इस योजना के लिए कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी।

6. तदनुसार, केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम उपर्युक्त दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी जरूरत और सामर्थ्य के आधार पर स्कीम बनाने पर विचार करे और प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के समक्ष पेश करे। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से स्कीम के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन ले सकता है।

7. अनुमोदित योजना की प्रति रिकॉर्ड हेतु, उचित समयावधि में लोक उद्यम विभाग को अग्रेषित की जाए।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(81)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XVI/2009, दिनांक 08 जुलाई, 2009)

*****